



# श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

(भारत सरकार के संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय)

एलबीएनएसयू नई दिल्ली के छात्रों हेतु छात्रावास के लिए भवन किराए पर लेने के लिए  
रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) / प्रस्ताव के लिए अनुरोध

ईओआई संदर्भ संख्या: एफ.8(45)/एलबीएनएसयू/छात्रावास/2024-25  
दिनांक: 09 अप्रैल, 2025

ईओआई दस्तावेज़ निम्नलिखित वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

<https://www.slbsrsrv.ac.in>

पता:

कुलसचिव,

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,  
नई दिल्ली

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई)/ प्रस्ताव के लिए अनुरोध

संदर्भ संख्या: एफ.8(45)/एलबीएनएसयू/छात्रावास/2025

दिनांक: 09-04-2025

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के छात्रों के लिए छात्रावास हेतु किराये के आधार पर भवन लेने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (भारत सरकार के संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय) द्वारा अध्यक्ष, कार्यकारी समिति और कुलपति, एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की ओर से लगभग 400 छात्रों, वार्डन/सुरक्षा कर्मचारियों आदि के लिए आवास हेतु एक स्थान या अलग-अलग स्थानों पर भवन किराए पर लेने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है, साथ ही सामान्य/संलग्न शौचालय-सह-स्थानघर सुविधा, मेस सुविधा एलबीएनएसयू (श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय) के गेट नंबर 1 शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016, दिल्ली से लगभग 20 किलोमीटर से अधिक दूर में स्थित न हो। पास के आवासों को प्राथमिकता दिया जायेगा।

ईओआई दस्तावेज़ के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले इच्छुक पक्ष / पात्र और सक्षम सेवा प्रदाता / भवन मालिक / एजेंसियां दो बोली प्रणालियों के तहत निर्धारित आवेदन पत्र में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।


**अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और अनुसूची**

जारी/प्रकाशन की तिथि	09-04-2025
बोली प्रस्तुत करने की आरंभ तिथि और समय	09-04-2025 02.00 PM
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय	30-04-2025 03.00 PM
ईओआई के खुलने की तिथि और समय	30-04-2025 03.30 PM
ईओआई प्रसंस्करण शुल्क (गैर-वापसी योग्य)	रु. 1180/- केवल एलबीएनएसयू के पक्ष में, नई दिल्ली में देय।
ईओआई जमा करने का स्थान	कुलसचिव, ग्राउंड फ्लोर, स्वर्ण जयंती सदन, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016, दिल्ली।
कवर की संख्या (दो बोली प्रणाली)	02
बोलियों के जमा करने की अंतिम तिथि से 90 दिन	
संपर्क विवरण फोन नंबर ई-मेल आईडी	प्रो. शिव शंकर मिश्र +91-11-46060609, 9411171081 और 9456328499  registrar@slbsrv.ac.in
स्थान	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016, दिल्ली

**नोट:** आवेदकों से अनुरोध है कि वे अभिरुचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें और सभी विनिर्देशों/निर्देशों का पालन करें। इस दस्तावेज में विनिर्देशों/निर्देशों का अनुपालन न करने पर आवेदकों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर: .....

दिनांक: .....



कुलसचिव (प्र.)

## **पृष्ठभूमि**

1.1 श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, जिसे आगे एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के नाम से जाना जाएगा, भारत सरकार के संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 द्वारा शासित है। विश्वविद्यालय पारंपरिक संस्कृत और आधुनिक विषयों, शिक्षा, योग, अनुष्ठान आदि में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है और जनता के लिए पारंपरिक सांस्कृतिक सेवाओं का प्रचार करता है।

1.2 श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, बी-4, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110016, दिल्ली में अपने परिसर से संचालित होता है।

1.3 एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली इस विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावास के लिए संपत्ति/भवन किराए पर लेने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है।

## **2. एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की आवश्यकता।**

2.1 विश्वविद्यालय को लगभग 400 विद्यार्थियों के लिए आवास की तत्काल आवश्यकता है। एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा अपने परिसर के निकट किसी क्षेत्र में अस्थायी आधार पर एक सामान्य/संलग्न शौचालय-सह-स्नानगार सुविधा, भोजनालय सुविधा के लिए क्षेत्र, वाचनालय के लिए क्षेत्र, वार्डन कक्ष और सुरक्षा कर्मचारी कक्षों के साथ 3 वर्षों के लिए आवास की व्यवस्था की जानी है, जिसे मासिक किराये के आधार पर अधिकतम 2 वर्षों की अवधि तक वार्षिक आधार पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

2.2 भवन में 400 बिस्तरों के लिए न्यूनतम 34000-36000 वर्ग फुट का कालीन क्षेत्र होना चाहिए, जिसमें सामान्य शौचालय और स्नानघर आदि शामिल नहीं हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार 400 बिस्तरों के लिए केबिन बनाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी विभाजन कार्य का निर्माण किया जा सकता है। अपेक्षित क्षेत्रफल का एक भवन न मिलने की स्थिति में 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 बिस्तरों के भवनों को भी छात्रावासों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

2.3 एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और भवन किराए पर लेने के बीच की दूरी न्यूनतम होनी चाहिए।

2.4 आवास साफ-सुथरा होना चाहिए, जिसमें स्वच्छ वातावरण के साथ रहने योग्य और हवादार कमरे हों।

2.5 आवास में आवश्यक संख्या में छात्रों के लिए अच्छी और स्वच्छ स्थिति में पर्याप्त संख्या में सामान्य/संलग्न बाथरूम और शौचालय होने चाहिए।

2.6 पर्याप्त आकार के कमरों में पर्याप्त ट्यूब लाइट/एलईडी लाइट, पंखे और प्रत्येक छात्रावास बिस्तर के लिए कम से कम दो बिजली के प्लाइंट होने चाहिए।

2.7 पीने, नहाने और खाना पकाने के लिए बिजली और पीने योग्य पानी पूरे साल आवास में उपलब्ध होना चाहिए।

2.8 सुविधा में सभी स्वच्छता और जल आपूर्ति स्थापना कनेक्शन प्रदान किए जाने चाहिए।

2.9 बिजली की स्थापना और फिटिंग जैसे कि पावर प्लग, स्विच, चार्जिंग पॉइंट आदि जगह पर होने चाहिए।

2.10 आपातकालीन स्थितियों में, परिसर में एक पावर बैकअप/जनरेटर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए (वैकल्पिक) । •

2.11 भवन में मेस सुविधा, मनोरंजन कक्ष, भोजन कक्ष, रसोई क्षेत्र (भोजनालय कर्मियों हेतु स्थान सहित), सुरक्षा कर्मियों के लिए कक्ष, छात्रावास अधिष्ठाता कार्यालय और छात्रावास संचालन के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

2.12 बाथरूम में गीजर या गर्म पानी की सुविधा होनी चाहिए।

2.13 कमरों में सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।

2.14 उपयोगिता में सुधार के लिए पट्टेदार कमरों/भवन में कोई भी आवश्यक संशोधन/परिवर्द्धन कर सकता है।

2.15 संपत्ति में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाएँ और विशेष शौचालय हो सकते हैं।

2.16 परिसर में कम से कम दो इन/आउट गेट के साथ एक सुरक्षा बाउंड्री वॉल/गेट होना चाहिए।

2.17 छात्रावास में रहने वालों के लिए मनोरंजन/इनडोर खेल गतिविधियों के लिए खुली जगह होनी चाहिए।

2.18 छात्रावास परिसर में छात्रावास वार्डन/सुरक्षा कर्मियों के लिए कम से कम दो से चार कमरे होने चाहिए।

2.19 विश्वविद्यालय छात्रों के कमरों के लिए फर्नीचर, बाथरूम उपकरण, रसोई, भोजन सुविधा, वाचनालय, खेल कक्ष, छात्रावास कार्यालय कक्ष, वार्डन कक्ष, सुरक्षा गार्ड कक्ष, विद्युत कनेक्शन, डीजी बैकअप, सीसीटीवी कैमरे और वाई-फाई सुविधा प्रदान करेगा। •

2.20 छात्रावास परिसर में दोपहिया और चार पहिया वाहनों की पार्किंग के लिए स्थान उपलब्ध होना चाहिए।

### 3. नियम और शर्तें:

3.1 चयनित पक्ष को लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार एलबीएनएसयू, नई दिल्ली के साथ विस्तृत नियम और शर्तें वाला एक किराया समझौता निष्पादित करना होगा। समझौते पर 03 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसे आवश्यकता के आधार पर 2 वर्षों की अवधि तक वार्षिक आधार पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है। सहमत किराया कार्यकाल के दौरान और दो विस्तारित अवधियों के दौरान भी तय किया जाएगा।

3.2 भवन/आवास किराए पर लेने का समझौता निष्पादित होने के तुरंत बाद लागू हो जाएगा और सहमत अवधि के लिए लागू रहेगा।

3.3 आवास को ऑर्डर मिलने के 60 (साठ) दिनों के भीतर एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को सौंप दिया जाएगा। परिसर सभी तरह से कब्जे के लिए तैयार होना चाहिए, जैसे कि सुविधाएं, फर्नीचर, फिक्सचर और अपेक्षित मूलभूत सुविधाएं, पानी, जल निकासी, बिजली की फिटिंग, मेस क्षेत्र, आदि।

3.4 संपत्ति के कब्जे की तारीख से किराया देय होगा।

3.5 प्रस्तावित भवन सभी तरह के बोझ, शुल्क, दावों और कानूनी विवादों आदि से मुक्त होना चाहिए। मालिक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित एक वचनबद्धता/शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह शपथ हो कि मालिक को किसी भी समय किसी भी सरकार/प्राधिकरण द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित सूची में नहीं डाला गया है/अयोग्य नहीं ठहराया गया है या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

3.6 मालिक को अपनी लागत और खर्च पर बिजली और पानी की उचित लाइनें/कनेक्शन उपलब्ध कराने होंगे।

3.7 कुल किराये में जल आपूर्ति, सेवा शुल्क, रखरखाव शुल्क और अन्य कर आदि जैसे सभी शुल्क शामिल होंगे। एलबीएनएसयू नई दिल्ली आवास किराए के अलावा किसी भी शुल्क या किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं करेगा।

3.8 नियमित पानी और बिजली उपलब्ध होनी चाहिए, तथा पानी और बिजली के लिए आवश्यक अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी।

3.9 यदि भवन तीन से अधिक मंजिलों का हो तो लिफ्ट का प्रावधान होना चाहिए।

3.10 सेवा रखरखाव शुल्क किराए में शामिल किया जाएगा। एलबीएनएसयू नई दिल्ली, कोई रखरखाव शुल्क नहीं देगा।

3.11 भवन की बाहरी/अंदरूनी दीवार, अन्य दरवाजे, फिक्सचर आदि मूलभूत चीज़ें इत्यादि को हाल ही में रंगा गया होना चाहिए ताकि यह नया दिखे।

3.12 भवन का निर्माण नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग/नगर निगम या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण की आवश्यकताओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत योजना के अनुसार उचित रूप से किया होना चाहिए, तथा स्वीकृत सुरक्षा योजनाओं/मानदंडों के अनुसार होना चाहिए।

3.13 सभी संपत्ति कर, नगर पालिका कर और स्थानीय कर किराए में शामिल किए जाएंगे। प्रस्तावित आवास के संबंध में लगाए जा रहे संपत्ति कर, सभी नगर पालिका कर और अन्य स्थानीय करों का विवरण प्रस्तुत करें।

3.14 व्यावसायिक भवनों में अग्निशमन विभाग से निकासी सुरक्षा प्रमाणपत्र तथा भवन सुरक्षा विभाग से संरचना सुरक्षा प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

3.15 अनुबंध के समय स्थापित किए जाने वाले परिसर में उचित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य है।

3.16 एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, किसी भी आग, भूकंप, तूफान, युद्ध, नागरिक अशांति, दंगों या किसी प्राकृतिक आपदा या दैवीय कृत्य के परिणामस्वरूप किराए के विलेख की अवधि के दौरान परिसर को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा, जो एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के नियंत्रण से परे है।

3.17. एजेंसी/मालिक प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में सभी करों, जैसे संपत्ति कर, आयकर, जल कर आदि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। सभी कर रसीदों की अद्यतन प्रतियां आवेदनों के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

3.18 भवन का कोई अन्य मुख्य पहलू जिसका उल्लेख पक्षकार करना चाहे।

3.19 इच्छुक पक्षकार किराए के लिए कोई अन्य मौजूदा फर्नीचर या उपयोगी आइटम शामिल कर सकते हैं।

3.20 भुगतान शर्तें: एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली मासिक किराया अदा करेगी, जिसमें जल शुल्क, सेवा और रखरखाव शुल्क तथा कर शामिल होंगे। बिल जमा करने पर लागू कर आदि काटने के बाद आरटीजीएस/एनईएफटी/मासिक आधार पर किराया ऑनलाइन अदा किया जाएगा। बिजली शुल्क वास्तविक आधार पर एलबीएनएसयू, नई दिल्ली द्वारा वहन किया जाएगा।

3.21 एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली भवन परिसर में फ्रिटिंग और फिक्सचर की सामान्य टूट-फूट के लिए कोई शुल्क देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर: .....

दिनांक: .....

**3.22 दंड खंड:** एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, अधिकृत अधिकारियों/विशेषज्ञ समिति द्वारा नियमित आधार पर छात्रावास परिसर की जांच और निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ईओआई/अनुबंध में उल्लिखित खंडों से सेवाओं में किसी भी कमी या विचलन के मामले में, एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की विशेषज्ञ समिति, उन कम सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता/भवन मालिक पर जुर्माना लगा सकती है। जुर्माना एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की विशेषज्ञ समिति द्वारा तय किया जाएगा और यह निर्णय सेवा प्रदाता/भवन मालिक के लिए बाध्यकारी होगा।

**3.23 समाप्ति:** एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकता है। हालांकि, ऐसी नोटिस अवधि के दौरान, भवन/आवास, सभी चल रही सुविधाओं के साथ, एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के कब्जे में रहेंगे। एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की किरायेदारी पार्टियों पर लागू मौजूदा कानून द्वारा शासित होगी। मालिक भवन में दी गई किसी भी सुविधा/आवश्यक सुविधाओं को रोककर नहीं रखेगा।

**3.24 एजेंसी द्वारा भवन के असंतोषजनक रखरखाव के मामले में, एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने या स्वयं मरम्मत करवाने और देय किराए से खर्च की गई राशि काटने का अधिकार सुरक्षित है। हालांकि, अगर एजेंसी एक महीने की नोटिस अवधि के भीतर एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की संतुष्टि के अनुसार मरम्मत करवा लेती है, तो एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली अपने विवेक से, दंड के साथ या उसके बिना नोटिस वापस ले सकता है।**

**3.25 अनुबंध की शर्तों के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के मामले में एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का निर्णय अंतिम होगा।**

**3.26 एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा लगातार तीन महीनों तक मासिक किराए के भुगतान में चूक के मामले में, 45 दिनों का लिखित नोटिस देने के बाद, दूसरे पक्ष को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।**

**3.27 अप्रत्याशित घटना:** यदि किसी भी समय, इस अनुबंध के जारी रहने के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा इस अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व का पूर्ण या आंशिक रूप से प्रदर्शन अप्रत्याशित घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, तो एजेंसी अपनी प्रदर्शन सुरक्षा, परिसमाप्त क्षति या चूक के लिए समाप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, यदि और इस सीमा तक कि, अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में देरी या अन्य विफलता अप्रत्याशित घटना का परिणाम है। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ एजेंसी/फर्म के नियंत्रण से परे एक घटना है और इसमें एजेंसी/फर्म की गलती या लापरवाही शामिल नहीं है और यह पूर्वानुमानित नहीं है। ऐसी घटनाओं में विश्वविद्यालय की संप्रभु या संविदात्मक क्षमता, युद्ध या क्रांति, आग, बाढ़, महामारी, संगरोध प्रतिबंध और माल दुलाई प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं। ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, न ही किसी भी पक्ष के पास ऐसे गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में दूसरे के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए कोई दावा होगा।

**3.28 विवाद समाधान:** अनुबंध या असाइनमेंट की शर्तों और नियमों से उत्पन्न किसी भी विवाद के मामले में, मामले को कुलपति, एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और दूसरे पक्ष द्वारा पारस्परिक रूप से नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा। एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति की मृत्यु, इनकार, उपेक्षा, अक्षमता या अयोग्यता की स्थिति में, पक्ष पारस्परिक रूप से एक नया मध्यस्थ नियुक्त कर सकते हैं। मध्यस्थता का स्थान एलबीएनएसयू नई दिल्ली में होगा जब तक कि मध्यस्थ द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए। विवाद

के लंबित रहने के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा, यदि कोई हो। इस तरह की मध्यस्थता की लागत मकान मालिक द्वारा वहन की जाएगी, और किसी भी पक्ष द्वारा इस आशय पर कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अलावा, अनुबंध के किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी विवाद का निपटारा दिल्ली की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित सक्षम न्यायालय में किया जाएगा। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के अनुसार आयोजित की जाएगी। हालांकि, मध्यस्थ की फीस सीपीडब्ल्यूडी द्वारा समय-समय पर मध्यस्थ के लिए निर्धारित की जाएगी।

#### 4. आवेदन की तैयारी और प्रस्तुतीकरण

4.1 आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा प्रस्तुत करने से पहले ईओआई दस्तावेजों की विस्तार से समीक्षा करें और उसमें निर्दिष्ट आवश्यकताओं और नियमों और शर्तों को समझें।

4.2 दोनों बोलियाँ (तकनीकी और वित्तीय) मालिक या उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होनी चाहिए। नीचे वर्णित अनुसार दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जानी चाहिए:

(क) **लिफाफा 1:** जिसमें अनुलग्नक-1 में तकनीकी बोली हो, जो सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ सभी तरह से पूरी हो, तकनीकी बोली और प्रासंगिक दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी हो और उस पर मोटे अक्षरों में निम्नलिखित कथन लिखे होने चाहिए: 'एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के छात्रों के लिए छात्रावास आवास के लिए भवनों को किराए पर लेने के लिए तकनीकी बोली'।

(ख) **लिफाफा 2:** जिसमें अनुलग्नक-111 में निर्धारित वित्तीय बोली हो और उस पर मोटे अक्षरों में निम्नलिखित कथन लिखे होने चाहिए: 'एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के छात्रों के लिए छात्रावास के लिए भवन को किराए पर लेने के लिए वित्तीय बोली'।

4.3 अंत में, उपर्युक्त लिफाफों को एक ही सीलबंद लिफाफे/लिफाफे में रखा जाना चाहिए, जिस पर मोटे अक्षरों में यह कथन लिखा होना चाहिए - 'एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के छात्रों के लिए छात्रावास हेतु भवन किराए पर लेने के लिए आवेदन' और इसे निम्नलिखित पते पर जमा किया जाना चाहिए:

कुलसचिव, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर: .....

दिनांक: .....

तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज (प्रत्येक पृष्ठ पर क्रम संख्या अंकित) प्रस्तुत किए जाने हैं:

क. बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट, जो अनुलग्नक IV में संलग्न प्रारूप के अनुसार बनाई जानी है।

ख. अनुलग्नक-11 के अनुसार ईओआई दस्तावेज की शर्तों व नियमों की स्वीकृति के लिए पत्र

ग. मालिक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/एकमात्र मालिक का पैन कार्ड

घ. कंपनी के मामले में एसोसिएशन के ज्ञापन और लेख, तथा साझेदारी फर्म के मामले में भागीदारी विलेख और पंजीकरण प्रमाणपत्र।

ड. भवन का स्वामित्व दस्तावेज या अनुबंध की प्रति, यदि परिसर पट्टे पर है, जिसमें संपत्ति को उप-पट्टे पर देने का प्रावधान है।

च. अग्रि सुरक्षा विभाग से अग्रि सुरक्षा प्रमाणपत्र। संपत्ति का कब्जा सौंपने से पहले अग्रि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना है।

छ. सक्षम प्राधिकारी से संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र (दोनों ही मामलों में यदि यह एक वाणिज्यिक भवन है)।

ज. नगर निगम द्वारा अनुमोदित चित्र

झ. म्यूटेशन सर्टिफिकेट और नवीनतम रसीदों के साथ संपत्ति के दस्तावेज।

ज. स्वीकृत बिजली लोड का दस्तावेज।

ट. आयकर/पैन/जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र।

ठ. संबंधित विभाग, स्थानीय प्रशासन से लिफ्ट (यदि स्थापित है) के लिए एनओसी।

ड. ईओआई में दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार बोली के समर्थन में अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज।

4.5 बोलीदाता सभी शुल्कों, यानी जल आपूर्ति शुल्क, रखरखाव, सेवा शुल्क, सुरक्षा सेवाएं, कर आदि सहित कमरे/क्षेत्र का किराया पेश करेगा। एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, इमारतों के अलावा कोई किराया नहीं देगा।

4.6 तकनीकी बोली के साथ इसअभिरुचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज की एक प्रति होनी चाहिए, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों, जिन्होंने आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो ईओआई, इसमें निहित नियमों और शर्तों को पढ़ने, समझने और उनका अनुपालन करने के प्रतीक के रूप में है। ईओआई दस्तावेज की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति के बिना आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.7 सभी अपेक्षित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरी जानी चाहिए, तथा भरा हुआ आवेदन पत्र, प्रासंगिक जानकारी और आवश्यक दस्तावेज स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य होने चाहिए, तथा दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

4.8 आवेदन इस दस्तावेज की शुरुआत में बताए गए अंतिम समय और तिथि को या उससे पहले पहुंच जाने चाहिए। अंतिम तिथि/समय के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर/हाथ से प्राप्त आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। फैक्स, ईमेल आदि किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली किसी भी डाक देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

**4.9 बोली वैधता:** बोली प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी। यदि आवेदक वैधता अवधि के दौरान अपने प्रस्ताव को वापस लेता है, संशोधित करता है या बदलता है, तो आवेदन बिना कोई कारण बताए

अस्वीकार किया जा सकता है, और आवेदक को एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के किसी भी निविदा/ईओआई/आरएफओ में भाग लेने से 3 साल के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।

**4.10** इस ईओआई के संबंध में कोई भी परिवर्तन/शुद्धिपत्र/समापन/शुरुआती तिथियों का विस्तार केवल एलबीएनएस विश्वविद्यालय वेबसाइट या ई-प्रकाशन पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा, और इस संबंध में कोई प्रेस अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। इसलिए आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपडेट के लिए नियमित रूप से एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की वेबसाइट देखें।

**4.11** आवेदक द्वारा प्रस्तुत ईओआई आवेदन, एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की संपत्ति बन जाएगा, और एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को इसे आवेदक को वापस करने की कोई बाध्यता नहीं होगी।

**4.12** आवेदक को आवेदन की तैयारी और जमा करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करना होगा, और एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली किसी भी मामले में इन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे आवेदन प्रक्रिया के इस जमा करने के आचरण या परिणाम कुछ भी हों।

**4.13** एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, बिना कोई कारण बताए ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, और पार्टी काम जारी न करने के लिए किसी भी तरह के मुआवजे की हकदार नहीं होगी।

**4.14** बिजली का खर्च विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।

## 5. आवेदन खोलना और मूल्यांकन

5.1 आवेदनों का मूल्यांकन विश्वविद्यालय की संपत्ति किराए पर लेने की आवश्यकता के अनुसार उद्धृत दरों और उपयुक्तता के आधार पर किया जाएगा, जिसमें खाली जगह और फर्नीचर और फिक्स्चर शामिल हैं। अन्य सुविधाओं के लिए उद्धृत दरों को उक्त उद्देश्य के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

5.2 एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली सबसे कम कोटेशन को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि, ईओआई दस्तावेजों में बताई गई विभिन्न अतिरिक्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं/सुविधाओं/उपयोगिताओं को पूरा करने वाली संपत्ति पर संस्थान के हित में विचार किया जा सकता है और विश्वविद्यालय की जरूरतों/उद्देश्यों को पूरा करने वाली संपत्तियों को विश्वविद्यालय के हित में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

5.3 उपरोक्त शर्तों में से किसी की भी पूर्ति न होने पर आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

5.4 एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली किसी विशेष या सभी स्थानों पर जाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और किसी भी स्थान और परिसर को उपयुक्त रूप में चुनने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है और लागू दरों पर बातचीत कर सकता है।

5.5 सफल बोलीदाता को "प्रस्ताव पत्र" की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए, ऐसा न करने पर प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा।

कुलसचिव,

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं मुहरः..

दिनांक: .....

## अनुलग्नक- ।

ईओआई संदर्भ संख्या: एफ.8(45)/एलबीएनएसयू/छात्रावास/2024-25

दिनांक:

### तकनीकी बोली

(आवेदक के लेटरहेड पर प्रस्तुत की जानी है)

एलबीएनएसयू, नई दिल्ली के छात्रों के लिए छात्रावास आवास के लिए भवन किराए पर लेना

क्रमांक	अपेक्षित सूचना	फर्म प्रतिक्रिया
1)	सेवा प्रदाता/भवन मालिक/एजेंसी का नाम	
2)	सेवा प्रदाता/भवन मालिक/ एजेंसी का पूरा पता टेलीफोन/मोबाइल नंबर ईमेल आईडी	
3)	पैन नंबर विवरण	
4)	जीएसटी नंबर	
5)	होलिंग की कानूनी स्थिति: (भवन स्वामित्व   भवन भागीदारी / लीज पर भवन / अन्य, निर्दिष्ट करें)। (दस्तावेजी सबूत संलग्न करें)	
6)	छात्रावास आदि के लिए प्रस्तावित भवन का विस्तृत स्थान और पता। परिसर	
7)	संबंधित व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी	
8)	किराए के लिए प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल: 1. कुल कालीन क्षेत्र (वर्ग फीट में) 2. कुल कवर क्षेत्र (वर्ग फीट में) 3. कुल प्लिंथ क्षेत्र (वर्ग फीट में) 4. निर्माण का वर्ष:	
9)	किराए के लिए प्रस्तावित कमरों/क्षेत्र की संख्या। विवरण एक अलग शीट में समझाया जा सकता है।	
10)	एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से प्रस्तावित छात्रावास परिसर की दूरी	
11)	सड़क की चौड़ाई (फीट में)/लैंडमार्क जहां आवास स्थित है।	

12)	भवन/परिसर का उपयोग (वाणिज्यिक या संस्थागत या आवासीय): क्या भवन/परिसर के उपयोग पर कोई प्रतिबंध है? यदि भवन एक छात्रावास है, तो वैध लाइसेंस संलग्न करें।	
13)	क्या प्रस्तावित भवन में लिफ्ट का प्रावधान है?	
14)	क्या प्रस्तावित भवन में वैध विद्युत शक्ति है? स्वीकृत विद्युत भार:	
15)	प्रस्तावित भवन में विद्युत आपूर्ति का वैकल्पिक प्रावधान है?	
16)	टेलीफोन/इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है या नहीं?	
17)	पावर बैकअप सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो: ऐसी 'पावर बैक अप' सुविधाओं के संचालन, नियमित मरम्मत और रखरखाव की व्यवस्था। (जैसे डीजी सेट, यूपीएस आदि)	
18)	क्या प्रस्तावित भवन में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रैंप, विशेष शौचालय आदि जैसी आवश्यक सुविधाएँ हैं?	
19)	निगरानी प्रणाली का विवरण, यदि कोई हो (सीसीटीवी) आदि	
20)	क्या पीने और अन्य उपयोग के लिए चौबीसों घंटे पानी उपलब्ध है?	
21)	क्या अतिरिक्त शुल्क (किराए के अलावा) के भुगतान के लिए कोई आइटम या विशेष सेवा शुल्क प्रदान करने का इरादा है? यदि ऐसा है, तो कृपया प्रत्येक ऐसी सेवा/सेवा का उल्लेख करें, जिसमें ऐसे शुल्कों का विवरण अलग से हो।	
22)	निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्वामित्व दस्तावेज</li> <li>2. नगर निगम भवन द्वारा स्वीकृत चित्र</li> <li>3. संरचना प्रमाण पत्र</li> <li>4. अग्नि सुरक्षा मंजूरी प्रमाण पत्र</li> <li>5. स्थापित अग्निशामक यंत्रों की संख्या</li> <li>6. संबंधित प्राधिकरणों से स्वीकृत विद्युत भार</li> </ol>	
23)	निविदा दस्तावेज/ईओआई दस्तावेज के अनुसार सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत हैं?	
24)	तीन वर्ष की अवधि के लिए हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हैं, जिसे वार्षिक आधार पर 02 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया या घटाया जा सकता है।	
25)	क्या ईओआई दस्तावेज के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं? अनुबंध दिए जाने की स्थिति में?	

26)	<b>बैंक विवरण</b> लाभार्थी का नाम..... खाता संख्या..... बैंक का नाम:..... शाखा..... आईएफएससी कोड:..... एमआईसीआर नंबर:..... खाते का प्रकार: (बचत/चालू)..... 	
27)	ईओआई दस्तावेजों में निर्दिष्ट भुगतान शर्तों पर सहमति	

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर बताई गई सभी जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैं/हम नियमों और शर्तों को समझते हैं और स्वीकार करते हैं और आगे यह भी स्वीकार करते हैं कि यदि किसी भी रूप में तथ्यों को छुपाया गया है या गलत विवरण प्रस्तुत किया गया है, तो मेरे आवेदन/संपर्क को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और एलबीएनएस विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ऐसी स्थिति में उचित समझे जाने वाली कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

हस्ताक्षरकर्ता का नाम:.....

दिनांक:.....

स्थान:.....

सेवा प्रदाता/भवन मालिक/ एजेंसी का नाम: .....

बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं मुहर:

दिनांक: .....

## अनुलग्नक-॥

### नियमों एवं शर्तों की स्वीकृति के लिए पत्र (एजेंसी के लेटरहेड पर)

दिनांक:

सेवा में

कुलसचिव,  
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय  
नई दिल्ली - 110016

**विषय:** 'एलबीएनएसयू, नई दिल्ली के छात्रों के लिए छात्रावास आवास हेतु भवनों को किराए पर लेने के लिए ईओआई (अभिरुचि की अभिव्यक्ति) के नियमों एवं शर्तों की स्वीकृति' संदर्भ संख्या: एफ.8(45)/एलबीएनएसयू/छात्रावास/2024-25/ दिनांक .....

प्रिय महोदय,

मैंने/हमने उपर्युक्त "अभिरुचि की अभिव्यक्ति(ईओआई)/कार्य" के लिए ईओआई दस्तावेज़ वेबसाइट (वेबसाइटों) से डाउनलोड/प्राप्त कर लिया / लिये हैं, अर्थात उपर्युक्त वेबसाइट (वेबसाइटों) पर दिये गये आपके नोटिस के अनुसार -  
1. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने ईओआई दस्तावेजों (अनुबंधों, अनुसूची (ओं) आदि जैसे सभी दस्तावेजों सहित) की संपूर्ण नियम व शर्तें पढ़ ली हैं, जो अनुबंध का हिस्सा हैं और मैं/हम इसमें निहित नियमों/शर्तों/खंडों का पालन करेंगे।

2. इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय आपके विभाग/संगठन द्वारा इस ईओआई के साथ समय-समय पर जारी किए गए शुद्धिपत्रों पर भी विचार किया गया है।

3. मैं/हम उपर्युक्त ईओआई दस्तावेजों/शुद्धिपत्रों की ईओआई शर्तों को बिना शर्त पूरी तरह से स्वीकार करते हैं।

4. एलबीएनएस यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली का कोई भी कर्मचारी या किसी भी कर्मचारी का सीधा संबंध किसी भी तरह से एजेंसी/फर्म/कंपनी के साथ भागीदार/ शेयरधारक/ निदेशक/ सलाहकार/ परामर्शदाता/ कर्मचारी आदि के रूप में जुड़ा हुआ नहीं है।

5. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी एजेंसी/फर्म/कंपनी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत सभी जानकारी और डेटा तथा संलग्नक सत्य और सही हैं।

6. मैं/हम जानते हैं कि यदि कोई जानकारी गलत/असत्य पाई जाती है या उसका उल्लंघन किया गया पाया जाता है, तो आपका विभाग/संगठन, बिना कोई नोटिस या कारण बताए, हमारी बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर देगा या हमारे अनुबंध को समाप्त कर देगा, बिना किसी अन्य अधिकार या उपचार के पूर्वाग्रह के, जिसमें पूर्ण रूप से उक्त बयाना राशि/प्रदर्शन सुरक्षा जब्त करना भी शामिल है।

7. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम/हमारी फर्म/कंपनी को न तो काली सूची में डाला गया है और न ही मेरे/हमारे/हमारी फर्म/हमारी कंपनी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है।

(100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर विधिवत् नोटरीकृत एक हलफनामा संलग्न किया है जिसमें कहा गया है कि मैं/हम/हमारी फर्म/कंपनी को कभी भी प्रतिबंधित सूची में नहीं डाला गया है और मेरे/हमारे/हमारी फर्म/कंपनी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला आदि विश्वविद्यालय/मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में लंबित नहीं है।)

आपका विश्वासभाजन,

(आवेदक के हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर के साथ)

बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर: .....

दिनांक: .....

### अनुलग्नक-III

ईओआई संदर्भ संख्या: एफ.८(४५)/एलबीएनएसयू/छात्रावास/२०२४-२५

दिनांक:

#### वित्तीय बोली

(आवेदक के लेटरहेड पर प्रस्तुत की जानी है)

एलबीएनएसयू, नई दिल्ली के छात्रों के लिए छात्रावास आवास हेतु भवन का किराया

सुविधा का प्रकार	सुविधा का विवरण (कमरों की संख्या, कालीन क्षेत्रफल वर्ग फीट आदि में)	सुविधा के लिए प्रति माह किराया (रु.)	प्रति माह परिसर का कुल किराया (रु.)	अवधि	कुल राशि (रु.)
कमरे/हॉल कॉमन सुविधाओं स्नानागार और शौचालय के साथ		रुपये..... ..... ..... (शब्दों में)			रुपये..... ..... ..... (शब्दों में)
खुली जगह (मनोरंजन आदि गतिविधियों के लिए )		रु..... (शब्दों में)		36 महीने	
बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त फर्नीचर, फिक्सचर, सेवाएँ आदि।		रु..... (शब्दों में)			

वित्तीय बोली में प्रदाताओं/भवन मालिकों/एजेंसियों के नाम और बोलीदाता द्वारा उद्धृत किए जाने वाले सभी शुल्कों सहित<sup>1</sup>  
मासिक किराया शामिल होना चाहिए।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

दिनांक: .....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम: .....

स्थान: .....

सेवा प्रदाता(ओं)/भवन मालिकों/एजेंसी का नाम: .....

बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर: .....

दिनांक: .....

### अनुलग्नक-IV

ईओआई संदर्भ संख्या: एफ.8(45)/एलबीएनएसयू/छात्रावास/2024-25

दिनांक:

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत संलग्नक सूची (चेकलिस्ट)

क्र.सं.	बोलीदाता का मान	संलग्न किये गये कागजात का नाम एवं नम्बर	पेज संख्या ... से ... तक	टिप्पणी

बोलीदाता का हस्ताक्षर एवं मुहर

दिनांक.....